LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE : 17/07/2018

APPLICATION 52584

FILE NO : NR-28/EE/M.CELL/2017

WARD: ....

SCHEME : GOMTI NAGAR

PERMIT NO: 42890

SITE OF COMMERCIAL

SECTOR : VIBHUTI KHAND

PROPERTY TC/C-1/1

NAME. SHALIMAR CORP LTD (SAS HOTELS & PROPERTIES PVT LTD)

Address: TCC-1/1, VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated 22/12/2017 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of 21/12/2022 **or expiry date of Lease deed whichever is earlier**

Restriction If Required: -पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध–

1. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल सेफटी प्रमाण पत्र का पालन करना होगा।
2. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तदोपरान्त भवन के उपयोग आदि की अनुमति दी जायेगी।
3. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्केपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
4. पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में ही करना होगा अन्य उपयोग करनेपर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
5. भू–स्वामित्व चौहददी तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
7. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त वयक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
8. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
9. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन पक्ष को करना होगा।
10. स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं को मानको के अनुसार विकसित करना तथा उनकी स्थानीय निकायों की सेवाओं से संयोजित करने का उत्तरदायित्व भूस्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
11. प्रस्तावित मैकेनाइज्ड पार्किंग का विकास का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
12. मौके पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित एक सूचना पटट अनिवार्य है।
13. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारो तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिडकाव की व्यवस्था की जाये अथवा तिरपाल आदि से ढक कर रखा जाना होगा।
14. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।